सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 28/प्रेसनोट/2021 13 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

सामूहिक दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में प्र0नि0 विनोद कुमार मय हमराह के मु0अ0सं0 09/21 धारा 376डी भादवि 67 ए आईटी एक्ट के वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु बडगहन तिराहे पर खडा होकर संदिग्ध वाहन व व्यक्ति की चेकिंग कर रहा थे कि मुखबीर खास आकर सूचना दिया गया कि सामूहिक बलात्कार से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू उर्फ प्रवेश राजभर बरौना बाजार में मौजूद है कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास कर प्र0नि0 मय हमराहियान मय मुखबीर मय वाहन सरकारी के बरौना बाजार से कुछ दुर पहले ही मुखबीर खास एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके हट बढ गया। पुलिस टीम एकाएक बरौना बाजार में खडे व्यक्ति के पास जैसे ही पहुंचे कि पुलिस टीम को देखकर कोदहरा प्राइमरी स्कूल की तरफ भागा कि पुलिस टीम ने दौड़कर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर बरौना तिराहे से 50 कदम कोदहरा प्राइमरी स्कूल की तरफ समय 10.10 बजे पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पूछा गया तो अपना नाम गुड्डू उर्फ प्रवेश राजभर पुत्र जैतू सा0 चौकी पिलखुआ थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष बताया चूकि पकडा गया व्यक्ति मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त है अतः हिरासत पुलिस मे लेकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 09/21 धारा 376डी भादवि 67ए आईटी एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

गुड्डू उर्फ प्रवेश राजभर पुत्र जैतू सा0 चौकी पिलखुआ थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 विनोद कुमार मय हमराह का0 आनंद चौरसिया का0 विपिन सिह का0 धर्मराज म0का0 कविता मेहरोत्राचालक हे0कां0 संतोष सिंह

थाना तहबरपुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र ग्राम जिगिना करमनपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष द्वारा मुकदमा वादी सूर्यबली राम पुत्र मतई ग्राम जिगिना करमनपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ के पुत्र चन्द्रशेखर पर गाली गुप्ता देते हुए चाकू से वार कर देने पर मु0अ0सं0- 91/20 धारा 323/504/324 भादवि पंजीकृत हुआ जिसमे विवेचना से धारा 324 भादवि की घटोतरी करते हुए धारा 307 भादवि की वृद्धि की गयी ।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 उमेश चन्द यादव थाना स्थानीय से मय हमराहीयान के प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी मे ग्राम नेवादा मे मामुर थे कि उसी समय जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय के मु0अ0सं0- 91/20 का अभि0 अशोक घर पर मौजूद है । इस सूचना पर विश्वास करके मुखबिर को नेवादा मे ही छोड़कर हमराह कर्मचारीगण के साथ अभियुक्त के घर ग्राम जिगिना करमनपुर पहुचे । घर के सामने बाहर बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया । जो पुलिस टीम को देखकर दक्षिण तरफ गेहूं की खेत मे भागने लगा कि करीब 25 -30 कदम जाते जाते घेरकर पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम अशोक कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र ग्राम जिगिना करमनपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष बताया । अभियुक्त को मु0अ0सं0- 91/20 धारा 323/504/307 भादवि मे वांछित होने के कारण , कारण गिरफ्तारी बताते हुए बाकायदा बाजाफ्ता समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया । अभियुक्त के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद होने के कारण मुकदमा उपरोक्त मे धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 91/20 धारा 323/504/307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

अशोक कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र ग्राम जिगिना करमनपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

<u>बरामदगी-</u>

एक अदद नाजायज चाकू

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-</u>

1. उ0नि0 उमेश चन्द यादव
2.का0 सर्वेश कुमार
3.का0 अखिलेश यादव
4.म0का0 निधी पटेल